न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- श्री हीरालाल मीना (RAS)

प्रकरण सं: 8/13 प्रार्थना पत्र

बउनवान

श्रवणलाल पुत्र पृथ्वीराज जाति मीना निवासी मेरखेड़ी तह. व जिला बारां — प्रार्थी

बनाम

1. मुकेश पुत्र रामेश्वर जाति मीना निवासी अस्पताल रोड बारां
2. राजु उर्फ राजेन्द्र पुत्र गोविन्द प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी श्री जी चौक चौमुखा बाजार बारां
3. मधु पुत्र टीकमचंद जाति नायक निवासी पुलिस लाईन रोड नायक छात्र फार्म नायक मंदिर बारां
4. घनश्याम मारन पुत्र धर्मसिंह जाति मीना निवासी शिव कॉलोनी, बारां
5. चन्द्रकांता पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति मीना निवासी पचेलखुर्द हाल निवासी अस्पताल रोड बारां — अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र वास्ते न्यायिक अवमानना

उपस्थित:- 1 श्री ओमप्रकाश मेहता एड. प्रार्थी
2 श्री बाबूलाल बैरवा एड. अप्रार्थी

निर्णय दिनांक 13/9/15

प्रार्थी की ओर से जरिये अभिभाषक प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम रावनपुरा की आराजी खः नं. 166 रकबा 0.25 हे., 167 रकबा 0.20 हे., 168 रकबा 0.49 हे. कुल किता 3 रकबा 0.94 हे. प्रार्थी द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18/6/09 से क्रय कर इन्तकाल क्रमांक 419 दिनांक 10/7/09 से प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज की जा चुकी है। उक्त आराजीयात पर अप्रार्थी क्रम 1 व 2 द्वारा जबरन दखलंदाजी करने पर प्रार्थी द्वारा एक वाद श्रीमान न्यायालय में क्रमांक 85/12 तथा प्रा. पत्र अंतर्गत धारा 212 RTA प्र.सं. 53/12 प्रस्तुत किया जिस पर न्यायालय श्रीमान द्वारा दिनांक 2/7/12 को जवाब पेश होने तक अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के विरुद्ध स्थगन आदेश जारी कर आगामी तारीख पेशी 16/1/13 नियत की। किन्तु अप्रार्थीगण ने उक्त वाद व प्रार्थना पत्र में जवाब प्रस्तुत नहीं किया व अप्रार्थी क्रम 6 के खातेदारी में आराजी

उप खण्ड अधिकारी
बारां

Scanned by CamScanner

ग्राम रजपाली ख.नं. 104 रकबा 0.23 ... पत्र के आधार पर खाते में दर्ज होने का उल्लेख ख.नं. 103 में जो कुआं स्थित था नेशनल रोड में हुये पुलिया निर्माण में दब चुका क्योंकि मौके पर ग्राम गवनपुरा में ख.नं. 154/66 ... सिवाय चक ख.नं. 167 रकबा 0.20 है. जिसमें कुआ स्थित है को ग्राम रजपाली व ग्राम गवनपुरा के कांकड़ आपस में मिले होने से फायदा उठाकर अप्रार्थीगण इस कुये को ही रजपाली का कुआ मानते हैं, की आड़ में जबरन प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी में दिनांक 13/12/12 को जे.सी.बी. मशीन लेकर पहुंच गये तथा प्रार्थी की आराजी पर स्थित पक्की बांउड्री को तोड़कर जबरन कब्जा करने की कोशिश की जबकि प्रार्थी चन्द्रकांता वर्दी द्वारा अपने खाते की आराजीयात की कोई पैमाइश नहीं करवाई गई। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा स्थगन आदेश होने के बावजूद श्रीमान न्यायालय के आदेश की अवहेलना की है। अत: प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का परिवाद स्वीकार कर अप्रार्थीगण को उनके द्वारा न्यायालय आदेश की अवमानना के कारण दण्डित किया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश हुआ कि अप्रार्थीगण ने स्थगन की कोई अवहेलना नहीं की है। अप्रार्थीगण ने कभी भी प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे की आराजी में कोई दखल नहीं दिया है। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 11/12/12 को मौके पर पैमाइश करने के बाद जो सीमाज्ञान अप्रार्थीगण की आराजी का करवाया उसी पर अप्रार्थीगण अपना कृषि कार्य कर रहे हैं जिसे रोकने या दखल अन्दाजी करने का कोई अधिकार प्रार्थी को नहीं है। अप्रार्थीगण शान्ति प्रिय आदमी हैं लेकिन प्रार्थी स्थगन की आड़ में अप्रार्थीगण की आराजी को हड़पना चाहता है जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। अत: जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय व्यय निरस्त फरमावें।

हमने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र पर बहस उभयपक्ष सुनी। दौराने बहस वकील

उप खण्ड अधिकारी

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थीगण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में स्थगन आदेश के बावजूद प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ग्राम गावलपुरा ख.नं. 166,167,168 में प्रार्थी की पक्की बाउंड्री को तोड़कर जबरन कब्जा करने पर आमादा है तथा न्यायालय श्रीमान द्वारा जारी स्थगन आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को उनके द्वारा न्यायालय आदेश की अवमानना के कारण दण्डित फरमावें।

दौराने बहस वकील अप्रार्थीगण ने बाबत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थीगण मौके पर सीमाज्ञान द्वारा पटवारी हल्का द्वारा जो आराजी उनकी बताई उसी पर काबिज काश्त हैं। अप्रार्थीगण द्वारा श्रीमान न्यायालय के स्थगन आदेश की कोई अवमानना नहीं की है बल्कि प्रार्थी इस आदेश की आड़ में अप्रार्थीगण की आराजी पर कब्जा कर आराजी हड़पना चाहता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमावें।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी ने अपने कथन के समर्थन में मात्र दिनांक 2/7/12 को जारी स्थगन आदेश की नकल छायाप्रति पेश की है। अन्य कोई साक्ष्य अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत करने में प्रार्थी पर्याप्त समय दिये जाने के उपरान्त भी असफल रहा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र साक्ष्य के अभाव में पोषणीय नहीं होने से निरस्तनीय पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13/9/19 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हीरालाल मीना)

उप खण्ड अधिकारी
बारां

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Heera Lal Meena
Date: 2019.10.22 17:04:53 IST
Reason: SelfAttested
Location: